

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

राँची

दिनांक :- 02-11-15

अधि.सं.-01/स्था.(पदस्थापन)-11-09/2015...8647/ श्री संतोष कुमार, प्रभारी मुख्य अभियंता (असैनिक) (चालू प्रभार) को स्थानान्तरित करते हुए कार्यकारी व्यवस्था के तहत अपने ही वेतनमान में उनके नाम के सामने स्तम्भ-04 में अंकित पद पर पदस्थापित करते हुए प्रभारी अभियंता प्रमुख (स्वतंत्र चालू प्रभार) के रूप में कार्य करने हेतु अगले आदेश तक के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम/ आई.डी./ गृह जिला/ जन्म तिथि	वर्तमान पदस्थापन	नव पदस्थापन स्थान	अभियुक्ति
1	2	3	4	5
1.	श्री संतोष कुमार 1669/गया/18.05.1956	मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची	अभियंता प्रमुख-01, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची	

- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
- अभियंता प्रमुख का कार्य करने हेतु कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा तथा इन्हें वही वेतन देय होगा जो वर्तमान में देय है।
- भविष्य में निगरानी स्वच्छता की स्थिति प्रतिकूल पाये जाने पर उन्हें प्रभारी मुख्य अभियंता के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जायेगा।
- अभियंता प्रमुख के पद पर नियमित पदस्थापन होने के बाद यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। यह किसी प्रकार की प्रोन्नति का आधार नहीं होगा और न ही पूर्वोदाहरण का मामला होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)।

ज्ञापक :-

8647

राँची, दिनांक :-

02-11-15

प्रतिलिपि:-अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट प्रकाशन के पश्चात् इसकी 25 (पच्चीस) प्रतियाँ कार्यालय अभिलेख हेतु विभाग को प्रेषित की जाय।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)

ज्ञापक :-

3647

रॉची, दिनांक :- 02-11-15

प्रतिलिपि:-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची/ माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची के आप्त सचिव (दो प्रतियों में)/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, सांस्थिक वित्त एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, आवास विभाग, झारखण्ड रॉची/ निदेशक, झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, रॉची/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लि., रॉची/ प्रशासक, सुवर्णरेखा परियोजना, जमशेदपुर/ अभियंता प्रमुख-01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी मुख्य अभियंता/ प्रबन्ध निदेशक, झालको, रॉची/ सभी संबंधित पदाधिकारी/ सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ब, 7यो, एवं 8ए, 8बी. एवं 14 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित पदाधिकारी अपने पूर्व पदस्थापित स्थान का स्वतः प्रभार त्यागकर नव पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को देंगे।

(दिनेश उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव(प्र.)